धारा 6–ए प्रकरण सं0 06/2017 अनवान 1–श्योप्रकाश पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट निवासी 1 डी.बी.एन.ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2–रचना जाखड़ पत्नि स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार जाखड़ जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण श्योप्रकाश व रचना जाखड़ के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण श्योप्रकाश व रचना जाखड़ के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन था कि थाना चूनावढ़ की सूचना पर श्री संदीप गोड़ प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.2011 को 22 एमएल सूरतगढ़ रोड पर एक पिकअप जिसमें डीजल भरा है को एक मोटर साईकिल द्वारा टक्कर मार दी है, मौके पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर वाहन एवं 2000 लीटर डीजल जब्त कर धारा 6ए का प्रकरण संख्या 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्रकुमार व अज्ञात वाहन चालक का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2012 को वाहन एव डीजल राजसात करने का आदेश पारित किया जाकर वाहन की एवज में 86732/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध देवेन्द्रकुमार द्वारा जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर में प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 36/2012 देवेन्द्रकुमार बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा राजसात किये गये वाहन की एवज में आरोपित जुर्माना राशि 86732/–रूपये को संशोधित किया जाकर **तीस हजार रूपये वाहन** के राजसात की एवज में जुर्माना लगाया गया। प्रार्थी द्वारा वाहन की एवज में अधिरोपित राशि 86732/–रूपये दिनांक 01.02.2012 को जमा करवाई जा चुकी है।

उनका आगे कथन था कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पुलिस थाना चूनावढ में धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 222/2011 अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी, बाद में पुलिस द्वारा श्योप्रकाश ड्राईवर के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में चालान पेश किया गया जो फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 सरकार बनाम श्योप्रकाश के रूप में दर्ज होकर दिनांक 24.08.2016 को निर्णित हुआ। निर्णय अनुसार श्योप्रकाश को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया है। चूंकि श्योप्रकाश धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त प्रकरण में दोष मुक्त हो चुका है जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील/रिवीजन व रिट आदि प्रस्तुत नही की गई है। वाहन मालिक देवेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नि रचना जाखड़ द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त श्योप्रकाश के दोष मुक्त होने के कारण धारा 6ए के प्रकरण में जब्त शुदा 2000 लीटर डीजल या डीजल की विक्रय राशि एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 86732/–रूपये वापिस लौटाने के आदेश प्रदान किये जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्रकुमार–अज्ञात वाहन चालक में पारित आदेश दिनांक0 30.01.2012 के द्वारा जब्त शुदा 2000 लीटर डीजल, जीप की ईंधन टंकी में उपलब्ध 10 लीटर डीजल कुल 2010 लीटर एवं पिक अप जीप संख्या आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी को राजसात करने का आदेश दिया गया था और राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में 86,732/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध देवेन्द्र कुमार द्वारा सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 36/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा राजसात किये गये वाहन की एवज में लगायी गई जुर्माना राशि 86732/–रूपये को संशोधित कर 30000/–रूपये जुर्माना कायम किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश की पालना जमा शुदा जुर्माना राशि में से 30000/–रूपये कम करके शेष जुर्माना राशि 56573/रूपये दिनांक 21.06.13 को वापिस लौटाये जा चुके है। शेष जमा जुर्माना राशि वाहन स्वामी मृत्तक देवेन्द्रकुमार की पत्नि रचना जाखड़ को वापिस लौटाने में विभाग को कोई आपत्ति नही है।

उनका आगे कथन था कि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 सरकार बनाम श्योप्रकाश में मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 के द्वारा अभियुक्त श्योप्रकाश को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील नही की गई है। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त के दोष मुक्त होने पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में जब्त शुदा सामान आदि वापिस लौटाये जाने का अधिनियम में प्रावधान है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये वाहन की एवज में जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय श्रीगंगानगर के निर्णय अनुसार जमा जुर्माना राशि 30,000रूपये वाहन स्वामी देवेन्द्रकुमार जाखड की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नि रचना जाखड़ को लौटाये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है।

उनका आगे कथन था कि धारा 6ए के प्रकरण में देवेन्द्रकुमार व श्योप्रकाश द्वारा धारा 6ए के प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार जब्त किया गया डीजल रामतन, प्रेम यादव व महेन्द्र कुमार का है। प्रकरण में जब्त किये गये 2000 लीटर डीजल के संबंध में प्रेम यादव, रामरतन व महेन्द्र जाखड द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है किजब्त शुदा उक्त डीजल में से उनका क्रमशः 800लीटर, 700 लीटर डीजल व 500 लीटर डीजल है। इसलिए श्योप्रकाश व रचना जाखड़ पत्नि देवेन्द्र कुमार जाखड को डीजल या डीजल की विक्रय राशि नही लौटाई जा सकती है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण श्योप्रकाश व रचना जाखड़ पत्नि देवेन्द्र कुमार जाखड़ ने दिनांक 28.12.16 को एक प्रा0 पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपराधिक प्रकरण संख्या 524/2014 सरकार बनाम श्योप्रकाश धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.08.2016 के द्वारा अभियुक्त श्योप्रकाश को उन्मोचित किया गया है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण संख्या 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार में जब्त शुदा डीजल या उसकी विक्रय राशि एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 86732/–रूपये वापिस लौटाने की प्रार्थना की गई है।

उक्त प्रार्थना के संबंध में मैने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(3)(ग) का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान हैः–

6क(3)(ग)–जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिग्रहण का आदेश किया गया है संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है।

वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएंगें।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि धारा 6ए के प्रकरण संख्या 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार–अज्ञात वाहन चालक में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 के अनुसार जब्त शुदा 2000 लीटर डीजल एवं जीप की ईंधन टंकी में 10 लीटर डीजल कुल 2010 लीटर डीजल मय पिकअप जीप संख्या आरजे 13जीए 6782 मय टंकी को राजसात किया गया था। राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में 86732/–रूपये जुर्माना लगाया गया था। वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार द्वारा जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्य 36/2012 प्रस्तुत करने पर उक्त अपील में जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय 30.01.2012 के द्वारा वाहन राजसात की एवज में अधिरोपित जुर्माना राशि 86732/–रूपये को संशोधित कर **तीस हजार रूपये जुर्माना वाहन** की राजसात की एवज में लगाया गया है और जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन संख्या 9033 दिनांक 06.11.2017 के अनुसार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय की पालना में वाहन की एवज में संशोधित की गई जुर्माना राशि 30000/–रूपये कम कर शेष राशि 56573/–रूपये वाहन चालक को दिनांक 21.06.13 को वापिस लौटाये जा चुके है। इसलिए राजसात किये गये वाहन की एवज में अधिरोपित जुर्माना राशि 86732/–रूपये में से शेष जमा रही जुर्माना राशि **तीस हजार रूपये** वापिस लौटाये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नही है।

चूंकि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 बनाम श्योप्रकाश में मुख्य न्याययिक मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय 24.08.2016 के द्वारा अभियुक्त शयोप्रकाश को आरोप से उमोचित किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण श्योप्रकाश व रचना जाखड़ द्वारा जब्त किया गया डीजल या डीजल की विक्रय राशि व वाहन राजसात की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 86732/–रूपये लौटाने की प्रार्थना

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

की गयी है। जबकि जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय की पालना में वाहन की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि 30000/–रूपये कम की जाकर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा शेष 56573/–रूपये दिनांक 21.06.13 को वापिस लौटाई जा चुकी है। इसलिए वाहन स्वामी देवेन्द्रकुमार की मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नि रचना जाखड वाहन की एवज में जमा जुर्माना राशि 30000/–रूपये ही वापिस प्राप्त करने की हकदार ठहरती है।

जहां तक जब्त शुदा डीजल वापिस लौटाये जाने का प्रश्न है धारा 6ए प्रकरण में देवेन्द्रकुमार, श्योप्रकाश व प्रेम यादव, रामरतन व महेन्द्र जाखड द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो के अनुसार प्रेम यादव का 800 लीटर, रमरतन का 700 लीटर व महेन्द्र जाखड का 500 लीटर डीजल है। प्रेम यादव, रामरतन व महेन्द्र जाखड द्वारा डीजल लौटाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है बल्कि श्योप्रकाश व रचना जाखड़ पत्नि देवेन्द्र कुमार जाखड़ द्वारा डीजल लौटाने की प्रार्थना की गई है जबकि डीजल के ये स्वामी नही है और न ही डीजल के स्वामी होने का कोई सबूत पेश नही किया है। इसलिए श्योप्रकाश व रचना जाखड़ जो वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार जाखड़ की पत्नि है, डीजल वापिस प्राप्त करने के हकदार नही ठहरते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2016 **आंशिक** रूप से स्वीकार किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 524/2014 सरकार बनाम श्योप्रकाश में मुख्य न्यायिक मजि0, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 से अभियुक्त श्योप्रकाश की दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप धारा 6ए के प्रकरण संख्या 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्रकुमार–अज्ञात वाहन चालक में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 के द्वारा राजसात किये गये वाहन की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि 86732/–रूपये के स्थान पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा जुर्माना राशि संशोधित कर 30000/–रूपये किये जाने के फलस्वरूप वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार को शेष जुर्माना राशि 56573/–रूपये जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 21.06.13 को लौटाये जा चुके है। **इसलिए जमा शुदा जुर्माना राशि 30000/–रूपये वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नि रचना जाखड़ को वापिस लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है।** उक्त विवेचन के अनुसार **जब्त शुदा 2000 लीटर डीजल वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार व श्योप्रकाश के शपथ पत्रो के अनुसार उनका नही होने के कारण प्रार्थीगण को वापिस नही लौटाया जा सकता है।** इसलिए प्रार्थीगण की डीजल या डीजल विक्रय की राशि लौटाने संबंधी प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। डीजल स्वामियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही डीजल लौटाने के संबंध में नियमानुसार विचार किया जावेगा। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 193/2011 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना राम

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर